MUNICIPAL CORPORATION BHILAI (C.G.)

NIT

कार्य का नाम :— जोन क्र.—02 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्र.—22 कुरूद ट्रेचिंग ग्राउण्ड स्थित गौठान का संचालन कार्य। (वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु)

(श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दर एवं आयटम दर अनुसार)

S.No.	Name of Work	Qty	Unit	Rate
1	जोन क्र.—02 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्र.—22 कुरूद ट्रेचिंग ग्राउण्ड स्थित गौठान में प्रतिदिन साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, चारा वितरण, पैरा कुट्टी का भण्डारण एवं वितरण, चौकीदारी कार्य हेतु	5 X365	प्रति श्रमिक प्रतिदिन	
2	Supply of fodder including loading unloading complete work.	103700.00	Kg	

ASSISTENT ENGINEER
MUNICIPAL CORPORATION,
BHILAI

SUB ENGINEER
MUNICIPAL CORPORATION,
BHILAI

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
जोन क्रमांक–02 वैशाली नगर

कार्य का नामः– जोन क्र.–02 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्र.–22 कुरूद ट्रेंचिंग ग्राउण्ड स्थित गौठान का संचालन कार्य।

नियम एवं शर्ते

1. गौठान संचालन कार्य हेतु समस्त सामाग्री एजेंसी के द्वारा स्वयं के व्यय से उपलब्ध करायी जायेगी।

2. निगम के अधिकारियो/संबंधित कर्मचारियों द्वारा गौठान संचालन के संबंध में समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. निविदाकार को छ.ग. राज्य में प्रचलित श्रम कानून का पूर्णतः कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, श्रमिको को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर संबंधित निविदाकार के विरूद्ध श्रम कानून के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

4. कर्मचारी भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत श्रमिको के भुगतान से भविष्य निधि राशि की कटौती कर संबंधित के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक श्रमिक का बैंक में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा करना होगा।

5. गौठान संचालन अत्यावश्यक व्यवस्था है इस परिस्थिति में इसकी निरंतरता बनाये रखने आवश्यक होगा, इसके लिये एजेंसी को समुचित संख्या के अतिरिक्त श्रमिक के रूप में रखना होगा ताकि गौठान का संचालन व्यवस्था प्रभावित न हों।

6. कार्य की अवधि एक वर्ष की होगी। आवश्यकतानुसार कार्य की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। उक्त अवधि में अनुबंधित दरों एवं शर्तो पर कार्य करने हेतु अनुबंधित एजेंसी बाध्य होगी।

7. शिकायत पर निराकरण 24 घंटे के अंदर करना आवश्यक होगा, अन्यथा निम्नानुसार दण्ड राशि अधिरोपित की जावेगी :–

प्रथम त्रुटि – $\frac{\text{अनुबंधित वार्षिक ठेके की राशि}}{365} \times \frac{10}{100} + 5000/-$

द्वितीय त्रुटि – $\frac{\text{अनुबंधित वार्षिक ठेके की राशि}}{365} \times \frac{10}{100} + 10000/-$

तृतीय त्रुटि – $\frac{\text{अनुबंधित वार्षिक ठेके की राशि}}{365} \times \frac{10}{100} + 15000/-$

तृतीय त्रुटि उपरांत आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को एकपक्षीय अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

8. संचालन व्यवस्था अत्यावश्यक व्यवस्था है, इस लिए आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि इसकी निरंतरता बनाये रखने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिये निविदा बुलाये बिना भी अन्य एजेंसी/द्वितीय निविदाकार/तृतीय निविदाकार/एवं अन्य निविदाकार को कार्य संपालन हेतु नियुक्त रोटेशनवार कार्य इस निविदा में स्वीकृत दरों पर 1.1,1.2,1.3 .... क्रम में संपादित कराया जाएगा। चूंकि कार्य हेतु रोटेशन सूची तैयार होगी अतः समस्त एफ.डी.आर. की राशि कार्य समाप्ति के पश्चात ही वापस की जा सकेगी।

9. किसी भी आकस्मिक घटना/दुर्घटना की संपूर्ण जवाबदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।

10. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई को प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत देयक से समस्त करो की कटौती कर देयक का भुगतान किया जावेगा।

11. किसी भी कारण से संचालन व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने की सूचना निगम के अधिकारियों को तत्काल दिया जाना अनिवार्य होगा।

12. संचालन एवं रखरखाव एवं चौकीदारी कार्य प्रतिदिन 24 घण्टे कार्यवधि के लिये होगी, इस अनुरूप एजेंसी को रात्रीकालीन पाली में चौकीदार रखना अनिवार्य होगा।

13. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा।

14. कार्य के दौरान जियो टेग फोटो प्रिंट कराकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

15. प्रदाय किये जाने वाले चारा पैरा–कुट्टी (भुसा) का उच्चगुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए। चारा के गुणवत्ता में खराबी, गंध या सड़न नही आना चाहिए, इस हेतु आवश्यकता अनुरूप ही सप्लाई के साथ भण्डारण किया जाना होगा।

16. चारे की मवेशियों को वितरण होने पर मवेशियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने में आपकी जवाबदारी होगी।

17. चारे भण्डारण के दौरान आगजनी होने के नुकसान का संस्था द्वारा भुगतान नही किया जावेगा। अतएव परीसर में संचालन के दौरान सुरक्षात्मक तरीके से भण्डारण किया जाना आवश्यक होगा।

18. संचालन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों का दैनिक उपस्थिति पंजी संधारित किया जाना आवश्यक है तथा देयक के दौरान उपस्थिति पंजी सहित पी.एफ/ई.एस.आई.सी. तथा श्रमिकों को किये गये भुगतान की बैंक इस्टेटमेंट की कॉपी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

19. किसी भी विवाद की भी स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।

उप अभियंता जोन क्र.–02 नगर पालिक निगम भिलाई	सहायक अभियंता जोन क्र.–02 नगर पालिक निगम भिलाई	कार्यपालन अभियंता जोन क्र.–02 नगर पालिक निगम भिलाई	जोन आयुक्त जोन क्र.–02 नगर पालिक निगम भिलाई